

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेडलीरेल वनाम रामलाल भजनलाल रामचन्द्र 310 210

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

जाटव गुप्त गेहनावाता


प्रकरण संख्या :- RA/18/05

निर्णय दिनांक - 11-4-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण राधा न इस प्रकार है कि ग्राम गेहनावाता की आ.ख.न. 1076 कुल रकवा 0-95 किमा जमीन गैंगुडा में से 415 की रास्ता रकवे पर श्री रामलाल भजनलाल रामचन्द्र को अनाधिकृत रूप से अधिकार कर पुतरा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेडलीरेल द्वारा दिनांक 10/4/18 पटवर सामर को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मग लुईट भू.अ.निरी. खेडलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किमा जाकर अतिक्रमी रामलाल भजनलाल जिन जाटव निवासी गेहनावाता का नं. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये मग नोटिस की तारीख कराई गई। नोटिस वाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी रामलाल उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकववा आ.ख.न. 1076 रकवा 0-95 में से 415 की गैंगुडा रकवे किमा गैंगुडा है जो नियमन का रकव नहीं है किमा गैंगुडा का अधिकार रकवे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए गए हैं एवं दण्ड स्वरुप 5 Pais 50 गुणा 3/- रूपये पैनल्टी आरोपित की जाने है मांगा कायमी हेतु टीआर का निम्न जावे, पैनल्टी वसूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी खेडलीरेल नू.अ.निरी. खेडलीरेल को लिखा जाकर वाद तकमील शकिल उपार है। निर्णय गुप्त न्यायलय में सुनाया गया।

**तहसीलदार
कठूमर (अलवर)**


तहसीलदार
कठूमर (अलवर)